समाहरणालय, खूँटी

(समेकित जनजाति विकास अभिकरण)
Email: - mesokhunti@gmail.com
Phone No. : - 06528-221592

इच्छा की अभिव्यक्ति

विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA to TSP) मद (वर्ष 2015--16) अन्तर्गत स्वीकृत Cash Crop Promotion among ST families योजना के क्रियान्वयन हेतु इच्छुक सरकारी / गैर सरकारी संस्था एवं वैसी संस्थाओं जिन्हे रोजगार कार्यक्रम एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उपर्युक्त कार्य करने का विशेष अनुभव प्राप्त हो, से दिनांक 06.11.2017 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्ताव / आवेदन, समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय, खूँटी में आमंत्रित किया जाता है।

संस्थाओं के प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण एवं अन्य संगत व जरुरी सूचनाएँ, नियम एवं शर्त्ते खूँटी जिले के वेवसाईट **www.khunti.nic.in** एवं परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, खूँटी के सूचना पटट पर देखा जा सकता है।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0, खूँटी।
23/10/17

नियम शर्त

1. गैरसरकारी संस्थाओं जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट – 1822, कम्पनीज/अधिनियम 1958 के तहत् निबंधित हो एवं सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रम/निगम/निकाय /कॉपरेटिव/समिति के अधीन लोकहित में कार्य किया हैं तथा जिसका निबंधन तीन साल पूरा हो गया हो, का निबंधन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली की सत्यापित पति संलग्न करना होगा।
2. संस्था को विगत तीन वर्षो 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 का अद्यतन आयकर रिटर्न की स्व0 अभिप्रमाणित छायाप्रति तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट का अंकेक्षण प्रतिवेदन/Balance Sheet संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संस्था का चल–अचल सम्पति का पूर्ण ब्योरा देना होगा।
4. संस्था के पास वैतनिक/अवैतनिक मानदेय पर कार्यरत तकनीकी एवं अन्य कर्मियों का विवरणी उनके योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति कार्यानुभव के साथ संलग्न करना होगा।
5. संस्था का OFFICE BREARER एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं, इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
6. प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था को कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया है।
7. टर्नओवर/मानव संसाधन एवं अनुभव के आधार पर सभी योग्य आवेदकों के अंकों का निर्धारण किया जायेगा, ताकि सुयोग्य संस्था का चयन किया जा सके।
8. सस्था का बायलॉज/स्मृति पत्र/नियमावली की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा। साथ ही प्रस्ताव के साथ INDEX संलग्न करना होगा।
9. संस्था को विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (SCA to TSP) अन्तर्गत वर्णित योजना/ कार्यो का अनुभवन प्रमाण पत्र के साथ विभिन्न कार्यालयो से निर्गत कार्यादेश संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. योजना कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह की होगी।
11. मांग किए गए सभी कागजात जॉच में नही पाये जाने पर साक्षात्कार में शामिल नही किया जायेगा।
12. Income TAX Act-1961 dh See 12A, 12AA एवं Sec. 80G, Sec. 80GGA में निबंधित संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
13. सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओ का चयन पारदर्शी तरीके से जिला स्तर पर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना कार्यान्वयन समिति में साक्षात्कार के उपरान्त किया जायेगा एवं समिति का निर्णय अंतिम होगा।
14. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. प्राप्त प्रस्ताव उपायुक्त/उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों की उपस्थिति में विचार किया जाएगा। जिसमें संस्था के अध्यक्ष/सचिव या संस्था द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
16. किसी भी प्रकार के वैधानिक दावे का निष्पादन खूँटी जिला क्षेत्राधीन न्यायालय में निष्पादित होगा।
17. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय विज्ञापन रदद् करने, विज्ञापन की तिथि आगे बढ़ाने अथवा विज्ञापन की शर्त्तों /अहर्त्ता में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0, खूँटी।